

मध्य प्रदेश शासन  
वित्त विभाग  
मंत्रालय-वल्लभ भवन-भोपाल  
// अधिसूचना //

भोपाल, दिनांक 24 दिसम्बर, 2020

क्रमांक: एफ 9-1/2020/नियम/चार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश पुलिस कर्मचारी वर्ग (असाधारण परिवार निवृत्ति वेतन) नियम, 1965 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में:-

नियम 5 के उप नियम (दो) के स्थान पर, निम्न लिखित उप नियम स्थापित किया जाए अर्थात् :-

“(दो) मृत पुलिस कर्मचारी द्वारा उसकी मृत्यु के समय प्राप्त की जा रही उपलब्धियाँ उस दिनांक तक जब वह अधिवर्षिकी आयु प्राप्त करने पर निवृत्त होता एवं तदुपरांत प्राप्त वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर परिवार पेंशन”।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार



(अखिल कुमार वर्मा)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृष्ठा.क्रमांक : एफ 9-1/2020/नियम/चार  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 24 दिसम्बर, 2020

1. शासन के समस्त विभाग
2. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर
3. समस्त विभागाध्यक्ष
4. समस्त संभागीय आयुक्त
5. समस्त कलेक्टर
6. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन भोपाल
7. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
8. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
9. रजिस्ट्रार जनरल मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय जबलपुर
10. महालेखाकार (लेखा और हकदारी) द्वितीय मध्यप्रदेश ग्वालियर ।
11. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
12. आयुक्त, कोष एवं लेखा, म.प्र. भोपाल ।
13. संचालक, पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा म.प्र. भोपाल ।
14. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
15. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
16. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
17. संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
18. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति मंत्रालय, भोपाल
19. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
20. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।

  
(अखिल वर्मा)

उप सचिव  
म.प्र.शासन, वित्त विभाग

Government of Madhya Pradesh  
Finance Department  
Mantralaya-Vallabh Bhawan-Bhopal

NOTIFICATION

Bhopal, date December, 2020

AMENDMENT

No.F 9-1/2020/Rule/IV. In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Police Personnel (Extra-Ordinary Family Pension) Rules, 1965, namely :-

AMENDMENT

In the said rules, in rule 5, for sub-rule (ii), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(ii), The emoluments that the police personnel received at the time of death, till the date of superannuation and thereafter the family pension equivalent to 50% of the Pay”.

By order and in the name of the  
Governor of Madhya Pradesh



(Akhil Kumar Verma)  
Dy Secretary,  
Government of Madhya Pradesh  
Finance Department